सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 18, मंगलवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 10, 2023
Asvina 18, Tuesday , Saka 1945- October 10, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2023

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1820 :-बीपीसी (एलपी) की 325वीं बैठक दिनांक 12.10.2022में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में मास्टर विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में जोनल विकास योजना-11बी की 30-30 मीटर चौड़ी सड़क जो ग्राम हरनाथपुरा तहसील व जिला जयपुर के खसरा सं. 9 से 12, 14, 70, 71, 72, 73व 74/1में बसी हुई गणपति गृ.नि.स.स. की गैर अनुमोदित आवासीय योजना गणेश नगर 8 व गणेश नगर-8 विस्तार में प्रस्तावित है। उक्त 30-30 मीटर सड़क (मार्क-'ए' से 'बी' व 'सी' से 'डी' तक) को व्यापक जनहित में मौके पर केवल निर्माण/बसावट भाग से विलोपित करने एवं शेष भाग जिसमें निर्माण/बसावट नहीं होने को 18 मीटर मार्गाधिकार निर्धारित करने के क्रम में सार्वजनिक समाचार पत्र में दिनांक 22.11.2022 को आम सूचना का प्रकाशन 30 दिवस की अवधि हेतु जन साधारण से आपत्ति/सुझाव हेतु आमंत्रित किए गए थे। उक्त 30 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। प्रकरण में बीपीसी-एलपी की 330वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 में उपरोक्त विवरण अनुसार बसावट क्षेत्र में 30.0 मीटर चौड़ी सड़क के विलोपन का सैद्धान्तिक निर्णय का अनुमोदन करते हुये माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

-:30मीटर चौडी सड़क के विलोपन का निर्णय:-

माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से अनुमोदन प्राप्त होने पर,जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित मास्टर विकास योजना 2025 जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में जोनल विकास योजना की 30-30 मीटर चौड़ी सड़क जो कि गणेश नगर 8 व गणेश नगर विस्तार से गुजर रही है, के विलोपन एवं शेष भाग जिस पर निर्माण/बसावट नहीं होने को 18 मीटर किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 25.09.2023 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

उक्त अधिसूचना का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाईट jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

नलिनी कठोतिया,
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।